<u>कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश</u>

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री ग्रेजिएनो ट्रासमिशनी इण्डिया प्रा0 लि0, प्लाट नम्बर-14, उद्योग केन्द्र, ग्रेटर नोएडा ।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**067 / 11, 21.07.2011**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ ।**

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

सर्वश्री ग्रेजिएनो ट्रासमिशनी इण्डिया प्रा0 लि0, प्लाट नम्बर-14, उद्योग केन्द्र, ग्रेटर नोएडा द्वारा दिनांक 21.07.2011 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि वह Gears, Components, Sub-Assemblies आदि का निर्माण करते हैं। उन्होंने देश के बाहर से gear technology का आयात किया है । इस technology के प्रयोग के अधिकार को वह देश के अन्य निर्माताओं को देना चाहते हैं । इस सन्दर्भ में उनके द्वारा निम्न 03 प्रश्न पूछे गये हैं :-

a. Whether the Technology Transfer is goods under the UP VAT Act;

b. Whether the consideration of Technology Transfer is taxable under the UP VAT Act or is exempt;

c. Whether, if not exempt, it is taxable under the tax on ‘‘ right to use goods ’’ @ 4%.

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 27.03.2014 के लिए नोटिस भेजी गई । उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

3. उपरोक्त संदर्भ में ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग-बी, गौतम बुद्ध नगर द्वारा पत्र संख्या-483, दिनांक 27.08.2011 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-2(m) के अन्तर्गत टैक्नोलोजी गुड्स के अन्तर्गत आती है । यह भी कहा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री टाटा कन्सल्टेन्सी सर्विसेज बनाम स्टेट आफ आन्ध्र प्रदेश 2005 UPTC 255 में गुड्स के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था दी है :-

A ‘ goods ’ may be a tangible property or an intangibl one. It would become goods provided it has the aitributes there of having regard to (a) its utility; (b) capabale of being bought and sold; and (c) capable of transmitted, transferred, delivered, stored and possessed.

इस प्रकार टैक्नोलोजी गुड्स की परिभाषा के अन्तर्गत आती है । यह भी कहा गया है कि इस पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-03 पर अंकित प्रविष्टि के अन्तर्गत करदेयता है ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री टाटा कन्सल्टेन्सी

....2

सर्विसेज बनाम स्टेट आफ आन्ध्र प्रदेश के वाद में गुड्स की परिभाषा पर विस्तृत रूप से विचार किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायाालय द्वारा दी गयी व्यवस्था के अनुसार technology goods की श्रेणी में आती है क्योंकि यह हस्तान्तरणीय है एवं इसकी खरीद-बिक्री गुड्स की भाँति की जा सकती है। टैक्नोलोजी के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में प्राप्त मूल्यवान प्रतिफल पर कोई करमुक्ति देय नहीं है। सभी intangible goods उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-03 पर अंकित प्रविष्टि के अन्तर्गत करयोग्य हैं। अत: टैक्नोलोजी के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में प्राप्त मूल्यवान प्रतिफल पर 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग-बी, गौतम बुद्ध नगर द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। उपलब्ध तथ्यों एवं विधि-व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा पूछे गय प्रश्नों का उत्तर निम्न भाँति दिया जाता है:-

a. technology goods की श्रेणी में आती है।

b. technology के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में प्राप्त मूल्यवान प्रतिफल पर कोई करमुक्ति देय नहीं है।

c. technology के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में प्राप्त मूल्यवान प्रतिफल पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-03 पर अंकित प्रविष्टि के अन्तर्गत 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 31 मार्च, 2014

ह0/- 31-3-2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।